

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-48/2017-18/1777(किसान) मत्स्य, राँची, दिनांक 22/06/2018

प्रेषक,
पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत
मो0 16,00,000/- (सोलह लाख) रु0 मात्र की लागत पर सामूहिक बीमा योजना (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा
योजना) की अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि सामान्य राज्यादेश सं0-01 दिनांक 15.04.2017 एवं ऑनलाईन
विभागीय राज्यादेश सं0-185 दिनांक 11.04.2017 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना में सामूहिक
बीमा योजना (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत मो0 16,00,000/- (सोलह लाख) रु0 मात्र की लागत पर
कुल 2,05,920 सक्रिय मछुआरों के सामूहिक बीमा (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा) के लिए अनुमानित व्यय की स्वीकृति
प्रदान की जाती है।

2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण कार्यालय, पशुपालन, गव्य विकास एवं मात्स्यकी
विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्रांक 12035-2/2015-FY(WU) दिनांक 09.05.2018 द्वारा संसूचित किया गया है कि केन्द्र
प्रायोजित योजना "ब्लू रिवोल्यूशन योजना" के अन्तर्गत Group Accident Insurance for Active Fishers
(GAIAF) योजना को Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) में समाहित कर दिया गया है।
3. PMSBY योजना का आधा व्यय भार राज्य सरकार द्वारा एवं आधा व्यय-भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया
जाएगा। तदनुसार राज्य योजना से मो0 16,00,000/- (सोलह लाख) रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे। केन्द्र सरकार राज्यांश
के समतुल्य अपने अंशदान की राशि फिशकोप्फेड (FISHCOPFED), नई दिल्ली को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना
की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।
4. सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
के अर्द्ध सरकारी पत्रांक 12035-2/2015-FY(WU) दिनांक 09.05.2018 के आलोक में 18 से 70 वर्ष आयु के
प्रति मछुआरा वार्षिक प्रीमियम 12/-रु0 (बारह रु0) है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं केन्द्र
सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाता है। बीमित की मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति
में बीमा कंपनी द्वारा उसके आश्रित को मो0 2.00 लाख रु0 की बीमा राशि तथा स्थाई आंशिक अपंगता की
स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा मो0 1,00,000/- रु0 का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मो0 10000/-
रु0 (दस हजार रु0) तक Hospitalization Expenses के लिए प्रति बीमित 3.54 रु0 अर्थात् 1.77 रु0
राज्य सरकार की तरफ से तथा 1.77 रु0 केन्द्र सरकार से व्यय होंगे। इस प्रकार प्रति बीमित मछुआरा हेतु
कुल प्रीमियम की राशि जो राज्य योजना से व्यय होगी मो0 7.77 रु0 (सात रु0 सतहत्तर पैसे) है।

इस योजना में राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निर्बाधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर पर, प्रमण्डल स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक अथवा मत्स्य मित्र हों।

5. विभिन्न तीन लघु शीर्षवार उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में राज्यांश मद अंतर्गत निम्न रूप से राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(राशि ₹0 में)

क्र0	मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन	स्वीकृत बजट उपबन्ध	स्वीकृत राशि
1.	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड-53S240500789210759	2,00,000/-	2,00,000/-
2.	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड-53S240500796210759	4,00,000/-	4,00,000/-
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड-53S240500101210759	10,00,000/-	10,00,000/-
कुल योग :		16,00,000/-	16,00,000/-

कुल स्वीकृत राशि मो0 सोलह लाख ₹0 मात्र।

6.(क) दिये गये भौतिक लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त आवंटन के माध्यम से राशि की निकासी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची द्वारा डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। एक मुश्त राशि निदेशक मत्स्य निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/खाते के माध्यम से फिशकोपफेड, नई दिल्ली को मुहैया करा देंगे।

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. पूर्व की भाँति जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी घोषित रहेंगे, जिनके द्वारा बीमित का दावा प्राप्त करने हेतु कागजात विहित प्रपत्र में संधारित कर निदेशक मत्स्य के माध्यम से फिशकोपफेड को भेजा जायेगा।

8. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित योजना उद्व्यय तथा बजट-उपबन्ध के अंतर्गत है।

9. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, गव्य विकास एवं मात्स्यिकी विभाग के पत्रांक 12012/01/2017- एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 29.09.2017 द्वारा केन्द्र सरकार का उपक्रम फिशकोपफेड, नई दिल्ली इस योजना हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र का नोडल एजेंसी है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा सीधे फिशकोपफेड को विमुक्त की जाती है।

10. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:-

मॉड सं0-53-मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना (के0प्रा0यो0) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय	लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय	लघु शीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय	कुल भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
						राज्यांश	केन्द्रांश
		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं0 में)					
1	रॉची	2340	5000	5000	12340	0.959	0.959
2	खूँटी	1000	2400	4000	7400	0.575	0.575
3	गुमला	1200	3200	3000	7400	0.575	0.575
4	सिमडेगा	900	2200	4000	7100	0.552	0.552
5	लोहरदगा	900	1800	6700	9400	0.730	0.730
6	लातेहार	1000	2200	4000	7200	0.559	0.559
7	प0सिंहभूम	1200	2600	5000	8800	0.684	0.684
8	पूर्वी सिंहभूम	1200	2000	6000	9200	0.715	0.715
9	सरायकेला	1400	3200	10000	14600	1.134	1.134
10	दुमका	1400	2600	5000	9000	0.699	0.699
11	जामताड़ा	1200	1880	5000	8080	0.628	0.628
12	साहेबगंज	1400	2200	4000	7600	0.591	0.591
13	पाकुड़	900	1800	4000	6700	0.521	0.521
14	हजारीबाग	1200	2200	7000	10400	0.808	0.808
15	रामगढ़	600	1200	5000	6800	0.528	0.528
16	कोडरमा	1200	1600	6000	8800	0.684	0.684
17	चतरा	600	1200	5000	6800	0.528	0.528
18	बोकारो	800	1400	4000	6200	0.482	0.482
19	गिरिडीह	600	1400	5000	7000	0.544	0.544
20	धनबाद	900	2000	4000	6900	0.536	0.536
21	गोडडा	600	1400	4000	6000	0.466	0.466
22	पलामू	1000	2000	10000	13000	1.010	1.010
23	गढ़वा	700	1600	5000	7300	0.567	0.567
24	देवघर	1500	2400	8000	11900	0.925	0.925
	योग:	25740	51480	128700	205920	16.000	16.000

11. जिला मत्स्य कार्यालयों एवं प्रबन्ध निदेशक, झांकोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

12. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्पलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

13. योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

14. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट उपबंध राज्यांश मो0 16.00 लाख रू0 मात्र में से वास्तविक व्यय राज्यांश मद अंतर्गत मो0 1,84,320/- (एक लाख चौरासी हजार तीन सौ बीस) रू0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।


15. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

16. वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के पश्चात् निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 17 रा0 (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 22/06/2018


प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक 17 रा0 (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 22/06/2018

प्रतिलिपि निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची /संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त (सभी) / उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) /सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

81/21/52